



सारण (छपरा) – 841301

–: प्रेस विज्ञापित:–

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए समेकित रूप से सूचे के अल्पसंख्यक समुदाय यथा मुस्लिम, ईसाई, सिख बौद्ध, पारसी एव जैन समुदाय के व्यक्तियों से विभिन्न व्यवसायों के लिए न्यूनतम 5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण राशि उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक सुयोग्य अल्पसंख्यक, जो नीचे वर्णित पात्रता रखते हैं, ये निम्नांकित व्यवसाय/इकाई/प्रतिष्ठान के लिए दिनांक-08.03.2022 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय/सारण, छपरा आवेदन-पत्र आवश्यक कागजात के साथ हाथों-हाथ, या डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। उपरोक्त योजना वर्षों के लिए आवेदक द्वारा एक ही आवेदन-पत्र जमा किया जाना है तथा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दोनों वर्षों के लिए समेकित (एक ही) चयन सूची का निर्माण किया जायेगा। आवेदकों का चयन राज्य सरकार के द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया जायेगा। चयन समिति से अनुशासित/चयन सूची प्राप्त होने के उपरान्त आवेदकों एवं निगम के बीच एकरारनामा तथा गारंटी ब्याण्ड निष्पादित होने के पश्चात् ऋण की स्वीकृति दी जायेगी।

आवेदक के लिए पात्रता	आवेदन के लिए व्यवसाय/इकाईयाँ
(i) आयु 18 से 60 वर्ष के बीच। (ii) आवेदक उसी जिला के निवासी हो जहाँ योजना का लाभ लिया जाना है। (iii) आवेदक सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में न हो। (iv) आवेदक के पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक न हो। (v) आवेदक अल्पसंख्यक यथा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन अथवा पारसी समुदाय का हो। मुस्लिम को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म संबंधित प्रमाण-पत्र संबंधित धर्मावलम्बी संस्थानों (Monasteries) द्वारा निर्गत हो। (vi) ऋण की अधिकतम राशि 5 लाख रुपये है। (vii) एक लाख रुपये तक की ऋण राशि ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारंटी, किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी, जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान/अन्य संबंधित दस्तावेज हो, से गारंटी ब्याण्ड निष्पादित कराते समय उसकी छाया प्रति समर्पित करेंगे। 1,00,001 रुपये से 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए एक सरकारी/अर्द्ध सरकारी/बैंक कर्मी/स्वायत्त निकाय के कर्मी (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष हो) आद्यकर दाता की व्यक्तिगत गारंटी/ऑनगवर्नी कर्मी/पंजीकृत मवरत्तों के शिक्षक/नियोजित शिक्षक/अनुबंधित बल्क के मोतवल्ली, ऋण राशि के समतुल्य अवल सम्पत्ति का बन्धेज (Equitable Mortgage) के साथ गारंटी ब्याण्ड निष्पादित करना होगा। (viii) यदि स्वीकृत राशि के विरुद्ध मशीन/उपकरण/उपस्कर/सामग्री के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो तो लाभार्थियों द्वारा अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेहन/प्रोफोर्मा बिल समर्पित किया जायेगा, जिसकी आपूर्ति हेतु सीधे विक्रेता के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा। (ix) चार पहिये वाहन ऋण के लिए आवेदक को हल्के मोटर ड्राइविंग का लाइसेन्स (LMV) तथा दवा दुकान के लिए ड्रग लाइसेन्स की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। (x) लाभकों द्वारा प्रत्येक वर्ष की देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने पर ऋण की समाप्ति के पश्चात् अतिदेय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर उनसे निगम द्वारा वसूली की जाएगी। (xi) मूलधन एवं देय ब्याज की बापसी अधिकतम 20 त्रैमासिक किस्तों में किया जाना है।	लघु ऋण झूठी पालर, जेनरल स्टोर, स्टेशनरी दुकान, चूड़ी-लहटी दुकान, पारपून, किचन दुकान, इलेक्ट्रिक, सामग्री की दुकान, ब्राँकरी की दुकान, प्लास्टिक की दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, टेलरिंग एवं इम्ब्रोडरी की दुकान, टी, स्टील, पान की दुकान, चाय-नाश्ता की दुकान, बकरी/मुर्गा का मांस की दुकान, टायर-ट्यूब रिपेयर की दुकान, अंडा की दुकान, मोमबत्ती/अगरबत्ती बनाना, मोटर रिवाइडिंग, एपलिक बर्क, जूट-बैग का निर्माण, मोबाईल/लेपटॉप रिपेयर, ऑटा चक्की/मसाला पिसाई उद्योग, तेलघानी उद्योग, ई-रिक्शा एवं फल सब्जी इस प्रकार का अन्य इत्यादि। वृहत ऋण (2 लाख रुपये से अधिकतम 5 लाख रुपये तक) मोबाईल दुकान, ब्लॉक प्रिन्टिंग मशीन, चूड़ी-लहटी कारखाना, सीप उद्योग, गेट-शील निर्माण, राईस/चूड़ा मील, जेनरेटर, बेस्क-टॉप प्रिन्टिंग, कम्प्यूटर स्पेयर एवं दुकान, टेम्पू, मिनी मैन, मालवाहक वैन, स्कारपियो, सुमो, बेलरो, रेडिनेड, फर्नीचर शॉप, जूता-छपल दुकान, कपड़ा की दुकान, अनाज खरीद-बिक्री, विस्किंग गटेरियल, दवा की दुकान, भुगी पालन, इलेक्ट्रोनिक्स गुडस की दुकान, मीनरल वाटर प्लान्ट, ज्वेलरी की दुकान, हाइवेयर की दुकान, पैथोलोजी, कोसिंग इन्स्टीट्यूट, बैग कारखाना, बेकरी पैलेक्स एवं डिजीटल प्रिन्टिंग दुकान, मेडिकल इक्विपमेंट मनोफार्माकचरिंग, स्टील फ़ैब्रिकेशन, टायर-ट्यूब की दुकान एवं इस प्रकार की अन्य इत्यादि।

नोट :- 1. आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र निगम के वेबसाईट www.bsmfc.org या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/SectionInformation.html?editForm&rowid=4199> (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाईट के (Download Section) से डाउन लोडकर सकते हैं अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सारण, छपरा के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन पत्र हाथों-हाथ, या डाक के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, सारण, छपरा में दिनांक-08.03.2022 के अपराह्न 05:00 बजे तक जमा होगा।
विस्तृत जानकारी के लिए state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।



बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि०, पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, अली इमाम पथ (हार्डिंग रोड), पटना-800001

Email : bsmfclpatna-bih@gov.in/minocorpatna@gmail.com Website:www.bsmfc.org Ph :0612-2204975



के माध्यम से संचालित

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण

आवेदन पत्र 2020-21 & 2021-22

आवेदक का
स्वअभिप्रमाणित
पासपोर्ट साइज फोटो

- आवेदन आई०डी०सं० - जिला का नाम
1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. आधार संख्या (स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
4. लिंग : महिला/पुरुष- 5.जन्म तिथि- 6.आयु (08.03.2022 तक)
7. मोबाईल नम्बर-
8. ई-मेल आई०डी० :-
9. स्थाई पता: मकान सं० ग्राम/मोहल्ला
- पंचायत/वार्डसंख्या डाकघर प्रखण्ड
- थाना जिला पिन कोड
10. वर्तमान पता: मकान सं० ग्राम/मोहल्ला
- पंचायत/वार्डसंख्या डाकघर प्रखण्ड
- थाना जिला पिन कोड
11. व्यवसाय/दुकान का पता :- मकान सं० ग्राम/मोहल्ला
- पंचायत/वार्डसंख्या डाकघर प्रखण्ड
- थाना जिला पिन कोड
- योजना स्थान का क्षेत्र - (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्रामीण) :-
- 12.धर्म (मुस्लिम को छोड़कर, अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित धर्मावलम्बी संस्थानों (Monasteries) द्वारा निर्गत हो)
13. शैक्षणिक योग्यता का विवरण
14. वर्तमान पेशा
15. (क)केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित अथवा सरकारी
- मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा का विवरण (स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
- (ख) प्रशिक्षण अवधि 3-5 माह, 6-12 माह या 1 वर्ष से अधिक का कोर्स
16. दिव्यांग/परित्यक्ता/विधवा (प्रमाण-पत्र/सत्यापित प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे)

17. परिवार की सकल वार्षिक आय [] (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
18. (क) प्रस्तावित व्यवसाय का नाम []
- (ख) व्यवसाय पर कुल लागत [] (ग) ऋण राशि की आवश्यकता/माँग []
19. सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था /संघ/**SHG** के सदस्य - []
20. व्यवसाय की कार्य योजना/पुर्व अनुभव रखने वाले आवेदक/दुकान []
- व्यवसाय का पंजीकरण/आय-व्यय के ब्यौरे का संधारण एवं अंकेक्षण []
21. क्या इसके पहले किसी बैंक या एजेन्सी या सहकारी बैंक या इस निगम या किसी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया है, जिसका कोई अंश वापसी के लिए बाकी है। यदि हाँ, तो संस्था एवं बकाया राशि का विवरणी दें : []
22. आवेदक के आधार लिंकड बैंक खाता की विवरणी :-
- बैंक का नाम एवं शाखा:- []
- खाता संख्या :- []
- IFSC कोड :- []

स्थान :

तिथि :

आवेदक का हस्ताक्षर

- नोट**
1. आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकार तथा अनुमण्डल प्रभारी या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म तिथि, धर्म (मुस्लिम को छोड़कर), शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, विकलांग/परित्यक्ता/विधवा, सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था /**SHG**/ संघ, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा के विवरण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
 2. वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा दवा दुकान हेतु ऋण के लिए ड्रग लाहसेंस की प्रति संलग्न करें।

आवेदन प्राप्ति रसीद

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

जिला आई०डी०सं०- [] नाम : []

[] पिता का नाम []

पता []

से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन प्राप्त किया।

समय :-

तिथि :-

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम)